आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–62/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती पुष्पा उरांव, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पंचायत–भठखिजरी–इरगांव, प्रखण्ड–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता एवं उनके अन्य सहयोगी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस दुकान को निलंबित किया गया था, उस दुकान के संचालक ने अनाज वापस नहीं लौटाया, इसलिये उनलोगों को अनाज प्राप्त नहीं हो पाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि डीलर ने अब अनाज लौटा दिया है अतः 07 दिनों के अन्दर लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि 07 दिनों के अन्दर सभी लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–29.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–29.11.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx134	